



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29102021-230813
CG-MH-E-29102021-230813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943

No. 523]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 अक्टूबर, 2021

सं. टीएमपी/70/2017-वीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/21/2015-वीपीटी दिनांक 15 मई 2015 द्वारा अनुमोदित विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में लाइसेंस आधार पर अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए आंतरिक आंतरिक हारबर में वेस्ट क्वे और ईस्ट क्वे बर्थों में संस्थापित 100 टन हारबर मोबाइल क्रेन के उपयोग के लिए मौजूदा प्रशुल्क की वैधता विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/70/2017-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अक्टूबर, 2021 के 11 वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में लाइसेंस आधार पर अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए वीपीटी के ईस्ट और वेस्ट क्वे बर्थों में संस्थापित आदेश सं. टीएमपी/21/2015-वीपीटी दिनांक 15 मई 2015 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा

अनुमोदित 100 टन हारबर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) के उपयोग के लिए मौजूदा प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए वीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/21/2015-वीपीटी दिनांक 15 मई 2015 द्वारा, वीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव दिनांक 24 मार्च 2015 के आधार पर, कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए लाइसेंस आधार पर वीपीटी के ईस्ट क्वे और वेस्ट क्वे बर्थों में संस्थापित की जाने वाली 100 टन एचएमसी के उपयोग के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु आदेश पारित किया था। उक्त आदेश राजपत्र सं. 196 दिनांक 28 मई 2015 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश के पैरा 10 के अनुसार, अनुमोदित दर आदेश राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू हुई थी और 3 वर्षों के लिए वैध है। तदनुसार, अनुमोदित दर की वैधता 26 जून 2018 तक है। उक्त आदेश में निर्धारित दरें कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद डब्ल्यूपीआई में 100 प्रतिशत भिन्नता की दर से वार्षिक वृद्धि के अधीन है।

2.2. तत्पश्चात, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/70/2017-वीपीटी दिनांक 2 मार्च 2019 द्वारा, वीपीटी के अनुरोध के आधार पर, आदेश सं. टीएमपी/21/2015-वीपीटी दिनांक 15 मई 2015 द्वारा अनुमोदित 100 टन एचएमसी के उपयोग के लिए उस समय मौजूद प्रशुल्क की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से आदेश दिनांक 15 मई 2015 में निर्धारित टिप्पणी सं. (viii) के अनुसार दर में लागू सूचकांकन के साथ 16 अगस्त 2021 तक विस्तारित किए थे। उक्त आदेश राजपत्र सं. 198 दिनांक 07 जून 2019 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3. वीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 16 जुलाई 2021 द्वारा अपना पत्र सं. एफए/कास्ट/एचएमसी/38सी/2021 दिनांक 16 जुलाई 2021 अग्रेषित किया है जिसमें 100 टन एचएमसी के लिए मौजूदा दरों का प्रशुल्क में वार्षिक सूचकांकन के अधीन तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 16 अगस्त 2024 तक विस्तार करने का अनुरोध किया गया है। वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 16 जुलाई 2021 में कही गई मुख्य बातें निम्नवत् हैं:-

- (i). आदेश सं. टीएमपी/70/2017-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा आंतरिक हारबर में 100 टन हारबर मोबाइल क्रेन के उपयोग के लिए विस्तारित संदर्भ प्रशुल्क 16 अगस्त 2021 तक वैध है। वीपीटी बोर्ड ने 15 जून 2021 को आयोजित बोर्ड बैठक सं. 2021-22 की 1 के 2021-22 के संकल्प सं. 10 द्वारा डब्ल्यूक्यू- 1 एवं 3 में तैनात की गई 2 एचएमसी की लाइसेंस अवधि और एक वर्ष के लिए विस्तारित करने का संकल्प पारित किया था (प्रतिलिपि प्रेषित)।
- (ii). वर्तमान में वीपीटी में एचएमसी के परिचालन की स्थिति निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	बर्थ का परिचालन	लाइसेंस अवधि वैधता
1.	डब्ल्यूक्यू 1 एवं 3 (दो एचएमसी)	बोर्ड के संकल्प सं. 2021-22 का 10 द्वारा 1/8/2022 और 16/8/2022 तक और 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित
2.	डब्ल्यूक्यू 7 एवं 8 (एक एचएमसी)	5/2/2024
3.	ईक्यू 7 (एक एचएमसी)	20/6/2022

- (iii). चूंकि आदेश सं. टीएमपी/70/2017-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा विस्तारित प्रशुल्क की वैधता 16 जुलाई 2021 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए वीपीटी ने आगे 3 (तीन) वर्षों की अवधि अर्थात् 2024 तक के लिए देय संवर्धनों के साथ एचएमसी के लिए पहले अनुमोदित प्रशुल्क की वैधता को और बढ़ाने का अनुरोध किया है।
- (iv). अनुमोदित प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए बोर्ड का अनुमोदन आगामी बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाएगा और आने वाले समय में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वीपीटी ने प्रस्ताव की कार्यवाही के दौरान अपने पत्र दिनांक 23 अगस्त 2021 द्वारा वीपीटी सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए वैयक्तिक लाइसेंस की वैधता अर्थात् मै. टीआरएस लिफ्ट एंड स्टाफ सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 05 फरवरी 2024 तक और सीपोल के मामले में 16 अगस्त 2022 तक से जुड़ी 100 टन एचएमसी के लिए मौजूदा दर की वैधता में विस्तार करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें पत्तन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाई गई कार्गो प्रहस्तन सेवाओं के लिए महापत्तन न्यासों के प्रस्ताव पर आधारित है। आदेश दिनांक 15 मई 2015 में इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदन वैयक्तिक सेवा प्रदाता के किसी संदर्भ के बिना संयुक्त दरों के रूप में ईस्ट क्वे और वेस्ट क्वे में संस्थापित की जाने वाली एचएमसी के लिए है। इसलिए, वैयक्तिक सेवा प्रदाता के लिए एचएमसी हेतु दरों की वैधता में विस्तार करने के लिए वीपीटी का अनुरोध साध्य नहीं है।

5. इसके अलावा, प्रस्ताव में देखे गए अंतरों के मद्देनजर, वीपीटी से कुछ बिन्दुओं पर सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया गया था। वीपीटी ने अपने ईमेलों दिनांक 06 सितंबर 2021, 14 सितंबर 2021 और 20 सितंबर 2021 द्वारा जवाब दिया है। वीपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i) प्राधिकृत सेवा प्रदाता को अवार्ड किए गए 100 टन एचएमसी हेतु लाइसेंस की वैधता का विस्तार अनुमोदित करते हुए 15 जून 2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक सं. 2021-22 की 1 के संकल्प सं. 2021-22 की प्रति न्यासी बोर्ड समक्ष पेश कार्यसूची नोट की प्रति भेजी गई है।
- (ii). आमंत्रित निविदाओं के अनुसार डब्ल्यूक्यू-7 और डब्ल्यूक्यू-8 में मै. टीआरएस लिफ्ट एंड शिफ्ट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड को 100 टन एचएमसी के लिए अवार्ड किए गए मूल लाइसेंस की अवधि 5 वर्षों अर्थात् 06 फरवरी 2019 से 05 फरवरी 2024 तक के लिए है, जोकि विषय में बोर्ड कार्यसूची सं. 1-14 में लिखा गया है।
- (iii). वीपीटी ने टीएमपी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क की वैधता लागू सूचकांकन के साथ और 3 (तीन) वर्षों की अवधि अर्थात् 05.02.2024 तक के लिए विस्तारित करने का अनुरोध किया है, चूंकि प्रशुल्क आदेश वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है और विस्तार परिचालनों के लिए आवश्यक रूप से अपेक्षित है। वीपीटी ने बताया है कि दरों की वैधता का विस्तार बोर्ड संकल्प तक स्थगित नहीं किया जा सकता।
- (iv). अनुमोदित प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए वीपीटी के न्यासी बोर्ड का अनुमर्शन आगामी बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाएगा और आने वाले समय में पेश किया जाएगा।

6. चूंकि यह मामला केवल वीपीटी द्वारा एचएमसी प्रदाता को प्रदत्त एचएमसी की लाइसेंस अवधि से मिलान के लिए लागू वृद्धि के साथ एचएमसी के लिए मौजूदा प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए है, इसलिए वीपीटी के प्रस्ताव पर परामर्श और संयुक्त सुनवाई आवश्यक नहीं पाई गई है।

7.1. संक्षेप में, एचएमसी के लिए पहले अनुमोदित मौजूदा प्रशुल्क की वैधता 16 अगस्त 2021 को समाप्त हो चुकी है। वीपीटी ने बताया है कि बर्थ सं. 7 और 8 में 100 टन एचएमसी की लाइसेंस अवधि 05 फरवरी 2024 तक है। अतः वीपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/21/2015-वीपीटी दिनांक 15 मई 2015 द्वारा अनुमोदित 100 टन एचएमसी के लिए मौजूदा दर की वैधता के विस्तार की मांग की है और आदेश सं. टीएमपी/70/2017-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा समाप्ति की तारीख अर्थात् 17 अगस्त 2021 से फरवरी 2024 तक, आदेश दिनांक 15 मई 2015 में निर्धारित टिप्पणी सं. (viii) के अनुसार मौजूदा प्रशुल्क में वार्षिक सूचकांकन के अधीन, 16 अगस्त 2021 तक विस्तारित किया गया था।

7.2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और वीपीटी द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर और चूंकि वीपीटी द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता को प्रदत्त 100 टन एचएमसी के लिए लाइसेंस 05 फरवरी 2024 तक वैध है, यह प्राधिकरण विस्तार आदेश सं. टीएमपी/70/2017-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 के साथ पठित आदेश सं. टीएमपी/21/2015-वीपीटी दिनांक 15 मई 2015 द्वारा 100 टन एचएमसी के लिए अनुमोदित मौजूदा प्रशुल्क की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से आदेश दिनांक 15 मई 2015 की टिप्पणी (viii) में निर्धारित दर में लागू सूचकांकन के साथ 05 फरवरी 2024 तक विस्तार प्रदान करता है। प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त यह विस्तार इस शर्त के अधीन है कि वीपीटी का न्यासी बोर्ड आदेश दिनांक 15 मई 2015 में निर्धारित टिप्पणी सं. (viii) के अनुसार दर में लागू सूचकांकन के साथ समाप्ति की तारीख से 05 फरवरी 2024 तक 100 टन एचएमसी के लिए अनुमोदित मौजूदा प्रशुल्क की वैधता का विस्तार अनुमोदित करता है।

8. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण वीपीटी में कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए ईस्ट क्वे और वेस्ट क्वे बर्थों में वीपीटी के आंतरिक हारबर में 100 टन एचएमसी के परिचालन के लिए आदेश सं. टीएमपी/70/2017-वीपीटी दिनांक 29 मार्च 2019 के साथ पठित आदेश सं. टीएमपी/21/2015-वीपीटी दिनांक 15 मई 2015 द्वारा अनुमोदित 100 टन एचएमसी हेतु मौजूदा दर की वैधता उक्त आदेश दिनांक 15 मई 2015 में निर्धारित टिप्पणी सं. (viii) के अनुसार दर में लागू सूचकांकन के साथ इसकी समाप्ति की तारीख से 05 फरवरी 2024 तक विस्तारित करता है। इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्रशुल्क की वैधता में यह विस्तार इस शर्त के अधीन है कि वीपीटी का न्यासी बोर्ड आदेश दिनांक 15 मई 2015 में निर्धारित टिप्पणी सं. (viii) के अनुसार दर में लागू सूचकांकन के साथ 05 फरवरी 2024 तक 100 टन एचएमसी के लिए मौजूदा प्रशुल्क की वैधता का विस्तार अनुमोदित करता है।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./387/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th October, 2021

No.TAMP/70/2017-VPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for use of 100 tonne Harbour Mobile Crane installed at West Quay and East Quay berths in the inner harbour for cargo handling operations by authorised service provider on license basis at Visakhapatnam Port Trust (VPT) approved by this Authority vide Order No.TAMP/21/2015-VPT dated 15 May 2015 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/70/2017-VPT

Visakhapatnam Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 11th day of October 2021)

This case relates to a proposal filed by Visakhapatnam Port Trust (VPT) for extension of the validity of the existing tariff for use of 100 tonne Harbour Mobile Crane (HMC) approved by this Authority vide Order No.TAMP/21/2015-VPT dated 15 May 2015 installed at East and West Quay berths of VPT for cargo handling operations by authorised service provider on license basis at VPT.

2.1. This Authority vide its Order No.TAMP/21/2015-VPT dated 15 May 2015 had, based on the proposal filed by the VPT dated 24 March 2015, passed an Order for fixation of charges for use of 100 tonne HMC to be installed at the East Quay and West Quay berths of VPT on license basis for cargo handling operations. The said Order was notified in the Gazette of India vide Gazette No.196 dated 28 May 2015. As per para 10 of the said Order, the rate approved comes into effect after expiry of 30 days from the date the Order is notified in the Gazette and is valid for 3 years. Accordingly, the validity of the approved rate is till 26 June 2018. The rates prescribed in the said Order is subject to annual escalation @ 100% variation in WPI after completion of one year from the effective date of implementation.

2.2. Subsequently, this Authority vide its Order No.TAMP/70/2017-VPT dated 29 March 2019 has, based on the request of the VPT, extended the validity of the then existing tariff for use of 100 tonne HMC approved by this Authority vide Order No.TAMP/21/2015-VPT dated 15 May 2015 from date of its expiry till 16 August 2021 with applicable indexation in the rate as per note no.(viii) prescribed in the Order dated 15 May 2015. The said Order was notified in the Gazette of India vide Gazette No.198 dated 07 June 2019.

3. The VPT has vide its e-mail dated 16 July 2021 forwarded its letter No.FA/Cost/HMC/38C/2021 dated 16 July 2021 seeking further extension of the existing rates for 100T HMC for a period of three years i.e. till 16 August 2024 subject to annual indexation in the tariff. The main points made by the VPT in its letter dated 16 July 2021 are as follows:

- (i). The reference tariff extended for use of 100 tonne Harbour Mobile Crane in inner harbour vide Order No.TAMP/70/2017-VPT dated 29 March 2019 is valid upto 16 August 2021. VPT Board resolved to extend the licensee period of 2 HMCs deployed at WQ-1&3 for a further period of 1 year vide Resolution No.10 of 2021-22 of the Board Meeting No.1 of 2021-22 held on 15 June 2021 (copy furnished).
- (ii). The following is the position of HMC's operating in VPT at present:

Sl. No.	Operating on Berth	License period valid upto
1.	WQ 1 & 3 (Two HMC's)	Extended for a further period of 1 (one) year upto 1/8/2022 & 16/8/2022 vide Board Resolution No.10 of 2021-22
2.	WQ 7 & 8 (One HMC)	5/2/2024
3.	EQ 7 (One HMC)	20/6/2022

- (iii). Since validity of tariff extended vide Order No.TAMP/70/2017-VPT dated 29 March 2019 expires on 16 July 2021, the VPT has requested to further extend the validity of the tariff approved earlier for HMC with due escalations for a further period of 3 (three) years i.e. 16 August 2024.
- (iv). The approval of Board for extension of the validity of the tariff approved will be obtained in the ensuing Board Meeting and submitted in due course.

4. The VPT during the processing of the proposal had vide its letter dated 23 August 2021 sought extension of the validity of existing rate for 100T HMC linked to the validity of the individual license given by the VPT service provider i.e. upto 05 February 2024 in respect of M/s.TRS Lift & Staff Services Private Limited and in respect of Seapol upto 16 August 2022. In this regard, it is relevant here to mention that the rates approved by this Authority is based on proposal of Major Port Trusts for cargo handling services provided by service provider authorized by the Port. The approval accorded by this Authority in the Order dated 15 May 2015 is for HMCs to be installed at East Quay and West Quay berths as common rates without any reference to individual service provider. Hence, the request of VPT to extend validity of rates for HMC for individual service provider may not be feasible.

5. Further, in view of gaps observed in the proposal, the VPT was requested to furnish information / clarification / documents on a few points. The VPT has responded vide their e-mails dated 06 September 2021, 14 September 2021 and 20 September 2021. The main points made by the VPT are summarised below:

- (i). A copy of the Resolution No.10 of 2021-22 of the Board Meeting No.1 of 2021-22 held on 15 June 2021 approving extension of the validity of license for 100T HMC awarded to the authorised service provider alongwith a copy of Agenda note placed before Board of Trustees is furnished .
- (ii). The original license period of 100T HMC as per the tender invited and awarded to M/s.TRS Lift and Shift Services Private Limited in WQ-7 and WQ8 is for 5 years i.e. from 06 February 2019 to 05 February 2024, which is written in the Board Agenda No.I-14 in subject.
- (iii). The VPT has requested to extend the validity of the tariff approved by TAMP for a further period of 3 (three) years i.e., upto 05.02.2024 with applicable indexation, since already the tariff order validity has expired and extension is necessarily required for operations. The VPT has stated that extension of validity of rates cannot be postponed till Board Resolution.
- (iv). Ratification of the Board of Trustees of VPT for extension of the validity of the tariff approved will be obtained in the ensuing Board Meeting and submitted in due course.

6. Since the matter is only for extension of validity of the existing tariff for HMC with applicable escalation to match the license period of HMC granted by the VPT to HMC provider, consultation and joint hearing on the proposal of VPT is not found necessary.

7.1. In short, the validity of the existing tariff approved earlier for HMC expired on 16 August 2021. The VPT has stated that the license period of the 100T HMC at berth nos.7 and 8 is till 05 February 2024. The VPT has, therefore, sought extension of validity of the existing rate for 100T HMC approved by this Authority vide Order No.TAMP/21/2015-VPT dated 15 May 2015 and extended till 16 August 2021 vide Order No.TAMP/70/2017-VPT dated 29 March 2019 from the date of expiry i.e. from 17 August 2021 till 05 February 2024 subject to annual indexation in the existing tariff as per the note no.(viii) prescribed in the Order dated 15 May 2015.

7.2. In view of the above position and based on the submissions made by the VPT and since the license for 100T HMC granted by the VPT to authorised service provider is valid till 05 February 2024, this Authority grants extension of the validity of the existing tariff approved for 100T HMC vide the Order No.TAMP/21/2015-VPT dated 15 May 2015 read with extension Order No.TAMP/70/2017-VPT dated 29 March 2019 from the date of its expiry till 05 February 2024 with applicable indexation in the rate prescribed in note (viii) of the Order dated 15 May 2015. This extension accorded by the Authority is subject to Board of Trustees of VPT approves the extension of the validity of the existing tariff approved for 100T HMC from the date of expiry till 05 February 2024 with applicable indexation in the rate as per note no.(viii) prescribed in the Order dated 15 May 2015. The VPT is requested to furnish a copy of its Board resolution approving the proposal of the port for our records.

8. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing rate for 100T HMC approved vide Order No.TAMP/21/2015-VPT dated 15 May 2015 for operation of 100T HMC at the Inner Harbour of VPT at East Quay and West Quay berths for cargo handling operations at VPT read with Order No.TAMP/70/2017-VPT dated 29 March 2019 from the date of its expiry till 05 February 2024 with applicable indexation in the rate as per note no.(viii) prescribed in the said Order dated 15 May 2015. This extension in the validity of tariff granted by this Authority is subject to Board of Trustees of VPT approves the extension of the validity of the existing tariff for 100T HMC upto 05 February 2024 with applicable indexation in the rate as per note no.(viii) prescribed in the Order No.TAMP/21/2015-VPT dated 15 May 2015.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./387/2021-22]